सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 11, सोमवार, *शाके* 1945-जनवरी 01, 2024 *Pausa 11 Monday , Saka 1945- January 01 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-1/इनपुट)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 6, 2023

संख्या प. 12(8) कृषि-1/इनपुट/2023 :-उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 29 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त आदेश के उपबन्धों के अधीन उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लिये गये तथा विश्लेषण के लिए भेजे गये उर्वरक नमूनों का विश्लेषण करने के लिये राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, सीकर को अधिसूचित करती है।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 29(ए) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, सीकर हेतु उक्त आदेश के उपबन्धों के अधीन उर्वरक निरीक्षकों द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गये उर्वरक नमूनों पर राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, सीकर में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हैं, को विश्लेषक की हैसियत से विश्लेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत करती है:-

1. संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन)
2. कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)
3. सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)

राज्यपाल की आज्ञा से,
कैलाश नारायण मीना,
संयुक्त शासन सचिव।

Agriculture (Group-1/Input) Department

Notification

Jaipur, September 6, 2023

No. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/2023 .-In exercise of the powers conferred under clause 29 of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the State Government hereby notify the State Fertiliser Testing Laboratory, Sikar to undertake analysis of the Fertiliser samples drawn and sent by the Fertiliser Inspectors under the provisions of the said Order.

In exercise of the powers conferred under clause 29(A) of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the State Government authorizes the following officers working in State Fertilizer Testing Laboratory, Sikar, to analyze the Fertiliser samples sent for analysis by the Fertiliser

Inspectors, who possess the prescribed minimum qualification, to sign the analysis report in the capacity of analyst under the provisions of the said Order.

1. Joint Director Agri. (Chemistry)
2. Agriculture Research Officer (Chemistry)
3. Assistant Agriculture Research Officer (Chemistry)

By Order of the Governor,
Kailash Narayan Meena,
Joint Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।